

उपरोक्त उपस्थित वकील वादी ने  
उपरोक्त 0-7 P-14 (3) CPC के तहत किया नकल  
प्रतिवादी को दिखाई गई करते जवाब क  
वहस प्रकरण 0-7 P-14 (3) CPC एगवली  
27-12-17 को पेश की

प

27-12-17

एगवली के तहत वादी श्रीशालाल  
एव प्रतिवादी गोकुल शशि शशि  
वादी श्रीशालाल द्वारा निवेदन किया  
कि मैं वाद को आगे चलाना नहीं  
चाहता हूँ अतः मेरा वाद पत्र नोट  
प्रेस शशिज करवाया जावे वादी श्रीशालाल  
की पहचान वकील वादी श्री बलालाल  
वीर शशि के द्वारा एव प्रतिवादी की  
पहचान वकील प्रतिवादी श्री बलकिशन  
शशि शशि के द्वारा की गई। अतः  
वाद वादी नोट प्रेस शशिज किया  
जाता है एगवली नम्बर से काम होकर  
दाखिल दफ्तर है।

मने प्र...

श्री...

गोकुल शशि  
शशि शशि  
शशि शशि  
शशि शशि  
शशि शशि

उपखण्ड अधिकारी  
लाखेरी (बून्दी)